—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 54/2021

उनवान

1. अलोल पत्नी मोती,
2. हेमराज,
3. भागचन्द पि0 मोती जाति जाट नि0 देराठू, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. नारायणी पत्नी उमराव,
2. विमला,
3. गटक्या,
4. मन्ता पि0 उमराव,
5. कालू पुत्र नारायण,
6. किशन पुत्र राजू,
7. गोपी,
8. जीवण पुत्र रामकरण,
9. नारायण,
10. पप्पू पुत्र शिवदान,
11. बालू पुत्र गोरू,
12. रामराज पुत्र रामकरण,
13. सुखपाल पुत्र राजू,
14. सुप्यार, (तर्क)
15. सुरजा पि0 शिवदान,
16. बबलू पुत्री राजू,
17. घीसी पुत्री राजू जाति जाट नि0 देराठू, नसीराबाद
18. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 17 अनुपस्थित, 18 जरियें राज. पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :—

दिनांक :— 21.11.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के खाता संख्या 1277/1225 किता 8 रकबा 3.56, 1276/1224 किता 19 रकबा 4.69, 62/63 किता 3 रकबा 1.36, 16/18 किता 2 रकबा [illegible] 64/63 किता 3 रकबा 0.39, 63/62 किता 2 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 4943 रकबा [illegible] व 6923 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की [illegible] है। [illegible] आराजी के विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा [illegible] काश्त में दखलदांजी कर रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:24 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 17 प्रकरण में अनुपस्थित रहें राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 14 का नाम तर्क किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम देराठू के खाता संख्या 1277/1225 किता 8 रकबा 3.56, 1276/1224 किता 19 रकबा 4.69, 62/63 किता 3 रकबा 1.36, 16/18 किता 2 रकबा 0.35, 64/63 किता 3 रकबा 0.39, 63/62 किता 2 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 4943 रकबा 0.04 व 6923 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में अपना हिस्सा ही विक्रय कर सकते है। प्रार्थीगण का हिस्सा अप्रार्थीगण द्वारा बैचान नही किया जा सकता है, किन्तु आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने का अप्रार्थीगण को कोई हक नही है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी प्रकरण का खण्डन नही किया है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्राथीगर्ण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के खाता संख्या 1277/1225 किता 8 रकबा 3.56, 1276/1224 किता 19 रकबा 4.69, 62/63 किता 3 रकबा 1.36, 16/18 किता 2 रकबा 0.35, 64/63 किता 3 रकबा 0.39, 63/62 किता 2 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 4943 रकबा 0.04 व 6923 रकबा 0.24 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। [illegible] करें।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद